न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 353/2016

नेकीराम कीर पुत्र हनुमान जाति कीर निवासी वार्ड नं. 1 कीरों की ढाणी तन बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

वादी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झूनू

प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 10/10/17

वादीगण ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के पिता हनुमान पुत्र काना हीर के नाम दिनांक 9.7.2066 को भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 63 बीघा 7 बिश्वा ग्राम बागोरा की सरहद में अवस्थित भूमि में से 3 बीघा गै0 मु0 पहाड़ को अलॉटमेंट कमेटी द्वारा अलॉट की गई थी। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 288 बने हैं। इसी प्रकार दिनांक 31.12.1970 में अलॉटमेंट कमेटी द्वारा रकबा 48 बीघा में वादी के पिता हनुमान पुत्र सुरजा उर्फ कालूराम कीर के नाम 8 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। आवंटन कमेटी द्वारा अलॉटमेंट के दौरान वादी के पिता का नाम हनुमान तो सही दर्ज कर दिया लेकिन हनुमान के पिता सुरजा के स्थान पर अर्जुन अंकित कर दिया। ग्राम बागोरा में कीर जाति के परिवारों में वादी के पिता हनुमान तथा दादा सुरजा उर्फ कालू एक ही व्यक्ति था। अलॉटमेंट अधिकारियों ने हनुमान के पिता का सही नाम दर्ज करने में त्रुटी की है। आवंटित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा आवासीय मकानात बने हुए हैं। अंत में निवेदन किया है कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम बागोरा की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर पुराना 238 रकबा 63 बीघा 7 बिश्वा में से 3 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जावे। घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम बागोरा की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर पुराना 260 रकबा 48 बीघा में से 8 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमियों के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान कारित नहीं करें। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादी तहसीलदार ने प्रकरण में जबाबदावा प्रस्तुत किया है कि ग्राम बागोरा के गत खसरा नम्बर 238 मी. एवं 260 मी. से वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 228 रकबा 2.70 है0 बनना स्वीकार है, लेकिन उक्त खसरा नम्बर 228 रकबा 2.70 है0 राजकीय भूमि है तथा किस्म गै0 मु0 पहाड़ दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सूची अलॉटमेंट के अनुसार हनुमान पुत्र सुरजा के नाम से कोई अलॉटमेंट किया जाना दर्ज नहीं वाद पत्र की मद संख्या 6 में वादी ने अंकित किया है कि आवंटित भूमि पर वादी का

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त है तथा आवासीय मकानात बने हुए है। इस संबध में निवेदन है कि जब वादी के पूर्वजों को भूमि का आंवटन ही नहीं हुआ तो कब्जा काश्त का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अगर वादी ने मकानात बना रखे है तो वह राजकीय भूमि पर अतिकमण है। मद संख्या 11 क, ख, ग, घ, वादी प्रस्तुत वादपत्र के जरिये किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादपत्र में अंकित ग्राम बागोरा के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 228 राजकीय भूमि है तथा किस्म गै0 मु0 पहाड़ अंकित है। गै0 मु0 पहाड़ की भूमि कृषि उपयोग हेतु प्रतिबन्धित भूमि है। वादी के पिता हनुमान पुत्र सुरजा के नाम से कोई आंवटन होना दर्ज नहीं है। वादी द्वारा वादपत्र में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसका उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त साबित होता हो। इसलिए वादी का वादपत्र पोषणिय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अतः वादी का वादपत्र आधारहीन होने से खारिज किया जावे।

वकील वादी के निवेदन पर बहस दावा अंतिम श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी के पिता हनुमान पुत्र काना हीर के नाम दिनांक 9.7.2066 को भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 63 बीघा 7 बिश्वा ग्राम बागोरा की सरहद में अवस्थित भूमि में से 3 बीघा गै0 मु0 पहाड़ को अलॉटमेंट कमेटी द्वारा अलॉट की गई थी। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 228 बने हैं। इसी प्रकार दिनांक 31.12.1970 में अलॉटमेंट कमेटी द्वारा रकबा 48 बीघा में वादी के पिता हनुमान पुत्र सुरजा उर्फ कालूराम कीर के नाम 8 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। आवंटन कमेटी द्वारा अलॉटमेंट के दौरान वादी के पिता का नाम हनुमान तो सही दर्ज कर दिया लेकिन हनुमान के पिता सुरजा के स्थान पर अर्जुन अंकित कर दिया। ग्राम बागोरा में कीर जाति के परिवारों में वादी के पिता हनुमान तथा दादा सुरजा उर्फ कालू एक ही व्यक्ति था। अलॉटमेंट अधिकारियों ने हनुमान के पिता का सही नाम दर्ज करने में त्रुटी की है। आवंटित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है तथा आवासीय मकानात बने हुए हैं। अतः ग्राम बागोरा की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर पुराना 238 रकबा 63 बीघा 7 बिश्वा में से 3 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा ग्राम बागोरा की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर पुराना 260 रकबा 48 बीघा में से 8 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमियों के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान कारित नहीं करें।

प्रतिवादी तहसीलदार ने बहस के दौरान प्रस्तुत जबाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी राजकीय भूमि गै0 मु0 पहाड़ में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद पोषणिय नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। वादपत्र में उपलब्ध दस्तावेज आंवटन की छायां प्रति का अवलोकन के अनुसार हनुमान पुत्र सुरजा के नाम से कोई आवंटन होना साबित नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अनुसार ग्राम बागोरा के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 228 रकबा 2.70 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त वर्णित भूमि राजकीय भूमी है। वादी ने वादपत्र में ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त भूमि खसरा नम्बर 228 पर वादी का कब्जा काश्त साबित होता

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner

हो। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वादपत्र साबित नहीं होने तथा आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादी का वादपत्र साबित नहीं होने तथा आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 10/10/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner